उत्तर प्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास अनुभाग–2
संख्या–395/60–2–13–2/1(81)/2012
लखनऊः दिनांक 18 अप्रैल, 2013

कार्यालय ज्ञाप

भारत सरकार के पत्र दिनांक 22.10.12 द्वारा पुष्टाहार एवं अन्य दरों को पुनरीक्षित करते हुए आईसीडीएस योजना को पूरे देश में 'मिशन मोड' के रूप में कियान्वित किये जाने का निर्णय लिया गया है। भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार कार्यक्रम को मिशन मोड में कियान्वित किये जाने से सम्बन्धित कार्यवाही की जानी है। मिशन मोड का मुख्य उद्देश्य योजना के अन्तर्गत सेवाओं का संस्थानीकरण तथा सभी स्तर पर संरचना का सशक्तीकरण, सभी स्तरों पर आईसीडीएस कर्मियों का प्रशिक्षण व क्षमता विकास, अन्तर्विभागीय समन्वय का सशक्तिकरण, सामुदायिक जागरूकता व भागीदारी में वृद्धि तथा आईसीडीएस प्रबन्धन सूचना प्रणाली विषयान्तर्गत नवीन शोध व सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभावी ढंग से संचालन व उपयोग करना है।

2. उक्त के कम में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में संचालित समेकित बाल विकास योजना को 'मिशन मोड' में संचालित किये जाने हेतु लिये गये निर्णय के कम में आईसीडीएस मिशन के अन्तर्गत बच्चों के विकास के सम्बन्ध में पालिसी मामलों, मिशन मोड के विकास की समीक्षा इत्यादि हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में **''स्टेट आईसीडीएस मिशन''** का गठन किया जाता है, जिसका स्वरूप निम्नवत है:–

(1)	मा0 मुख्यमंत्री जी	– अध्यक्ष
(2)	मा0 बाल विकास सेवा व पुष्टाहार मंत्री जी	– उपाध्यक्ष
(3)	प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग	– सदस्य/सचिव
(4)	अन्य विभागों जैसे–स्वास्थ्य, ग्राम्य विकास, वाटर एवं सैनिटेशन, शहरी विकास, पंचायती राज, अनुसूचित जनजाति कल्याण, बेसिक शिक्षा, योजना तथा वित्त के प्रभारी मंत्री	– सदस्य
(5)	मा0 संसद सदस्य, मा0 विधान सभा सदस्य, जिला पचायत अध्यक्ष एवं स्थानीय निकाय से 05–10 लोग	– सदस्य
(6)	महिला एवं बाल विकास के अधिकारी, विकास आयुक्त, भारत सरकार के प्रतिनिधि, क्षेत्रीय निदेशक–निपसिड एवं 2–3 जिलाधिकारी	– सदस्य
(7)	जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी, मुख्य सेविका, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री (02–03 प्रतिनिधि)	– सदस्य
(8)	नामित सदस्य 5–8 लोग (बाल विकास, न्यूट्रीशन, हेल्थ, अर्ली एजुकेशन के जानकार तथा स्वयं सेवी संस्था	– सदस्य

उक्त कमेटी छः माह में एक बार बैठक आयोजित कर आईसीडीएस कार्यक्रम की समीक्षा करेगी।

जावेद उस्मानी
मुख्य सचिव

संख्या–395(1)/60–2–2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को पत्र संख्या–1–8/2012–सीडी–। दिनांक 22.10.12 के कम में।
विशेष कार्याधिकारी/ निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
निजी सचिव, मा0 मंत्री गण–स्वास्थ्य, ग्राम्य विकास, वाटर एवं सैनिटेशन, शहरी विकास, पंचायती राज, अनुसूचित जनजाति कल्याण, बेसिक शिक्षा, योजना तथा वित्त को मा0 मंत्री गणों के अवलोकनार्थ।
निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
अन्य सम्बन्धित सदस्यगणों को।
निदेशक/स्टेट मिशन डायरेक्टर, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0।
गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सदाकान्त)
प्रमुख सचिव